

# न्यायालय जिला मजिस्ट्रेट, कोटा

पीठासीन अधिकारी : उज्ज्वल राठौड़, आई0ए0एस0

प्रकरण संख्या - 59/2021

(Bank Case)

GCMS No. 2021/79

फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 301 एवं 306, 3<sup>rd</sup> फ्लोर, अभिजीत वी.लॉ गार्डन रोड, मीठाखली, अहमदाबाद-380006 गुजरात एवं शाखा कार्यालय- ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 2 एवं 3, ए-235 गुरु जम्मेशवर नगर, गॉंधी पथ, कवीन्स रोड, अपोजिट नारायण गजक वाला, जयपुर-302021, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है। जरिये प्राधिकृत अधिकारी निमित्त चतुर्वेदी।

- प्रार्थी /सिक्योर क्रेडिटर

बनाम

1. शबीरन पत्नी स्व. अब्दुल मजीद (सहऋणी व विधिक वारिस स्व. अब्दुल मजीद)  
पता- 46, मेघवाल बस्ती भीमपुरा ढाकाखेडी कोटा (राज.)-325001
2. श्री तालीम हुसैन पुत्र स्व. अब्दुल मजीद (विधिक वारिस स्व. अब्दुल मजीद)  
पता:-46, मेघवाल बस्ती भीमपुरा ढाकाखेडी कोटा(राज.)-325001
3. अकरम पुत्र स्व. अब्दुल मजीद ( विधिक वारिस स्व. अब्दुल मजीद)  
पता:-46, मेघवाल बस्ती भीमपुरा ढाकाखेडी कोटा(राज.)-325001

- अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अर्न्तगत धारा 14 दी सिक्युरिटीजेशन रिकसट्रक्शन आफ फाईनेशियल ऐसिटस एण्ड एनफोर्समेन्ट आफ सिक्युरिटी इन्टरेस्ट एक्ट 2002

उपस्थित

श्री मुकेश शर्मा, अभिभाषक प्रार्थी

आदेश

दिनांक:01.09.2021

संक्षेप मे प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, रजिस्टर्ड कार्यालय 301 एवं 306, 3<sup>rd</sup> फ्लोर, अभिजीत, वी. लॉ गार्डन रोड, मीठाखली, अहमदाबाद-380006, गुजरात एवं शाखा कार्यालय- ग्राउंड फ्लोर, शॉप नंबर 2 एवं 3, ए-235 गुरु जम्मेशवर नगर, गॉंधी पथ, कवीन्स रोड, जयपुर-302021, राजस्थान में स्थित व कार्यरत है से अप्रार्थी सं. 1 ने दिनांक 02.11.2018 को ऋण खाता संख्या 18660000173396 में रुपये 7,95,000/- (अक्षरे: रुपये सात लाख पिचानवे हजार मात्र) का ऋण लिया था। अप्रार्थीगण ने ऋण व उसके मय ब्याज के पुनर्भुगतान हेतु सिक्योरिटी के रूप मे अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 1180, मिसल नं. 17 दिनांक 20.04.18 ग्राम भीमपुरा, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला- कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1728 वर्गफीट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-अल्लास का मकान, पश्चिम में- गली, उत्तर में- आम रास्ता, दक्षिण में- ब्रज मोहन गुर्जर का मकान स्थित है, को प्रार्थी बैंक के पक्ष में गिरवीकृत किया गया था। अप्रार्थी ने नियमित रूप से प्रार्थी का उक्त ऋण का भुगतान नहीं कर सका और ऋण के भुगतान में व्यक्तिक्रम व डिफाल्ट होने पर प्रार्थी बैंक द्वारा अप्रार्थी के खाते को दिनांक. 09.02.2020 को एन.पी.ए. कर दिया गया। अप्रार्थीगण के खाते मे बकाया राशि 8,16,092/- ( अक्षरे रुपये आठ लाख, सोलह हजार, बरानवे मात्र) बकाया रकम दिनांक 17.12.2020 तक शेष देय है एवं इसके पश्चात आगे की बकाया राशि

जिला मजिस्ट्रेट  
(कोटा)

मय ब्याज व खर्च पूर्णभुगतान करने तक के लिए अप्रार्थी जिम्मेदार है । प्रार्थी बैंक ने उक्त एक्ट की धारा 13(2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.12.2020 को रजिस्टर्ड नोटिस भी प्रेषित किये गये, इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । ऋणी द्वारा बंधक सम्पत्ति का कब्जा भी प्रार्थी बैंक को नहीं संभलाया है । प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत उपरोक्त खाते में देय राशि के पुर्णभुगतान हेतु रहनशुदा सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को जरिये पुलिस इमदाद संभलाने के लिये यह प्रार्थना पत्र जरिये अभिभाषक प्रस्तुत किया गया ।

अभिभाषक प्रार्थी को सुना गया । अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए प्रकट किया कि अप्रार्थी ने उसके खाते में देय ऋण राशि मय ब्याज की राशि के भुगतान हेतु उक्त अधिनियम की धारा 13 (2) के अन्तर्गत अप्रार्थी को दिनांक 18.12.2020 को नोटिस भी प्रेषित किये गये, नोटिस प्राप्ति के बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । अतः उपरोक्त वर्णित सम्पत्ति का कब्जा प्रार्थी बैंक को या उसके द्वारा नियुक्त व्यक्ति को दिलवाने का आदेश फरमाते हुए प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावे ।

हमने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया। प्रार्थी बैंक द्वारा उक्त अधिनियम की धारा 13(2) के अन्तर्गत दिनांक 18.12.2020 को नोटिस भी अप्रार्थी को प्रेषित किये गये। इसके बावजूद ऋण राशि मय ब्याज चुकाने में चूक की है । नोटिस प्राप्ति के पश्चात भी मांग की गई राशि का अप्रार्थीगणों द्वारा भुगतान नहीं किया है। अतः प्रार्थी बैंक द्वारा 2002 की धारा 14 के तहत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। ऋणी / बंधककर्ता अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 1180, मिसल नं. 17 दिनांक 20.04.18 ग्राम भीमपुरा, पंचायत समिति लाडपुरा, जिला- कोटा, राजस्थान में स्थित है, जिसमें भूमि, भवन एवं ढांचा, आदि जो सभी सम्पत्ति के अभिन्न अंग है। जिसका कुल क्षेत्रफल 1728 वर्गफीट है, जिसकी चर्तुःसीमाएं पूरब में-अल्लास का मकान, पश्चिम में- गली, उत्तर में- आम रास्ता, दक्षिण में- ब्रज मोहन गुर्जर का मकान स्थित है, का भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक द्वारा जरिये संबंधित पुलिस थाना इमदाद प्राप्त किये जाने के आदेश दिये जाते है । उक्त सम्पत्ति का कब्जा दिलाने हेतु पुलिस अधिकारियों / कर्मचारियों के वेतन भत्ता व यात्रा व्यय आदि का भुगतान नियमों में देय है तो संबंधित बैंक द्वारा वहन किया जायेगा । आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक, पुलिस अधीक्षक (ग्रामीण) कोटा को हस्त कायदा जारी हो । सम्पत्ति के स्वामित्व अथवा कब्जे को लेकर किसी भी तरह का विवाद होने की स्थिति में यह आदेश क्रियान्वित ना कर विवाद के संक्षिप्त विवरण सहित इस न्यायालय को लौटाया जावे ।

आदेश आज दिनांक 01.09.2021 को सुनाया गया ।

*(उज्ज्वल राठौड़)*  
जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा

जिला मजिस्ट्रेट  
कोटा (मनो)